प्रारुप

शपथ – पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/पत्नी.. विभाग.......................................संस्थान का नाम) में दिनांक..को गैस्ट फैकल्टी के रुप में अपनी उपस्थिति दे रहॉ हूँ /दे रही हूँ।

1. यह है कि मैने........................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक........................के कम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैने विज्ञापन में वर्णित शर्तो को पढ व समझ लिया है तथा उन शर्तो की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैने राजस्थान सरकार के वित (सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम) विभाग के परिपत्र कमाक प.6 (2) वित्त साविलेनि 2021 दिनांक....................को अच्छे से पढ/व समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एंव अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित है (यथा पहचान पत्र जो पत्र में अकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पत्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवासी, जाती, विकालांगता, भू.पू.स्वंय से संबधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही है।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गेस्ट फेकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समित के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नही करुंगा/करुंगी।
6. यह है कि मै कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडो के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करुंगा/करुंगी तथा यदि मै इसका उल्लंघन करता हूँ/करती हूँ तो संस्था एक तरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह कि मैं स्थान परिवर्तन की मांग नही करुँगा/करुँगी।
8. यह है कि मै इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी पर रखा गया है उस पद के स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गैस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमन्त्रित शिक्षको को उनकी बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
9. यह है कि मैने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिए है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नही करूंगा/ करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. यह अस्थायी अध्यापन व्यवस्था पाठ्यक्रम पूर्ण होने के अथवा परीक्षा से 15 दिन पूर्व तक अथवा जो भी पहले हो तब तक के लिये है। मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूँगा।

12. यह कि मैं किसी अन्य निजी अथवा राजकीय संस्थान में विश्वविद्यालय की कक्षाओं के संचालन के समय में नियमित /अनियमित रूप से कार्यरत नहीं हूँ उक्त तथ्य मैंने छुपाये तो मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

13. विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में मेरी उपस्थिति रहेगी व आवश्यकतानुसार कार्य होने पर विश्वविद्यालय का सहयोग करूँगा।

14. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशो की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

15. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नही किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और नही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

16. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गेस्ट फेकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

17. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा/रखूंगी तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा/होउंगी।

18. यह कि मुझे ज्ञात है कि चूंकि यह व्यवस्था प्रति कालांश मानदेय भुगतान पर आधारित है अतः शपथग्रहिता को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिन्दु संख्या 01 से 18 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य है, मैंने इनको भलिभांति पढ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा नही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

शपथग्रहिता